न्यायालय उपखण्ड अधिकारी,भीलवाडा

पीठासीन अधिकारी–आव्हाद निवृत्ति सोमनाथ (आई.ए.एस.)

प्रकरण संख्या	दायर दिनांक	निर्णय दिनांक
254 / 2024	26.05.2022	22.08.2024

उनवान

1. घीसा. पुत्र नारायण भाम्बी निवासी शिव मन्दिर के पास, वार्ड नम्बर 26 भीलवाडा।

—— प्रार्थी

बनाम

1. ओमप्रकाश पुत्र शम्भुलाल शर्मा, निवासी भोपालगंज तहसील व जिला भीलवाडा।
2. राजेश कुमार पुत्र शम्भूलाल शर्मा, निवासी भोपालगंज तहसील व जिला भीलवाडा।
3. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार भीलवाड़ा जिला भीलवाड़ा राज0

—— विपक्षीगण

उपस्थितः— 1. अधिवक्ता प्रार्थी की और से पृथ्वीराज चौधरी
2. विपक्षी संख्या 01 व 02 उपस्थित नहीं।

–: प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 लेण्ड रेवेन्यु एक्ट बाबत् रेकार्ड में हुई त्रुटि को दुरस्थ कराये जाने :–

संक्षेप में विवरण इस प्रकार है कि प्रार्थी की खातेदारी अधिकार एवं आधिपत्य की राजस्व ग्राम भोली पटवार हल्का भोली भू–अभिलेख निरीक्षक क्षैत्र आटुण तहसील व जिला भीलवाडा के खाता संख्या 118 में आराजी नम्बर 1620 रकबा 0.7713 हैक्टेयर भूमि दर्ज रेकार्ड है, जो प्रार्थी के नाम पर दर्ज है। प्रार्थी की आराजी के सटमा विपक्षी संख्या 01 व 02 की आराजी नम्बर 1719 / 1620 रकबा 04–05 बीघा भूमि स्थित है।

प्रार्थी उक्त आराजी की पत्थरगढी हेतु नक्शा ट्रेस आदि नकले लेने हेतु पटवार हल्का के पास गया तो प्रार्थी को जानकारी में आया कि प्रार्थी की आराजी नम्बर 1620 रकबा 03–01 बीघा खातें में दर्ज है। लेकिन लट्टा शीट (राजस्व नक्शें) में 01–12 बीघा ही तरमीम होकर 01–09 बीघा कम तरमीम है, विपक्षी संख्या 01 व 02 की आराजी नम्बर 1719 / 1620 का रकबा 04–15 बीघा में में दर्ज है, लेकिन लठ्ठा शीट (राजस्व नक्शा) में 06–04 बीघा तरमीम है, इस कारण 01–09 बीघा अधिक तरमीम है। इस पर पटवार हल्का द्वारा भी कैम्प में तहसीलदार भीलवाडा को उक्त राजस्व नक्शें में तरमीम दुरूस्ती हेतु मौका रिपोर्ट तैयार कर राजस्व जमाबन्दी अनुसार रकबा राजस्व नक्शें में तरमीम करने हेतु रिपोर्ट की गयी। लेकिन विपक्षी संख्या 03 द्वारा राजस्व नक्शें में दुरूस्ती नहीं की गयी।

विपक्षी संख्या 01 व 02 की आराजी नम्बर 1719 / 1620 में राजस्व रकबे से अधिक नक्शें में कमी तरमीम को दुरूस्त करा, प्रार्थी अपनी आराजी नम्बर 1620 के राजस्व नक्शें में कमी तरमीम रकबे को 03–01 बीघा के रूप में तरमीम कराने का अधिकारीहै जो तरमीम करायी जानी न्यायोचित एवं आवश्यक है।

Ahad

उपखण्ड अधिकारी
भीलवाडा

प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर ग्राम भोली पटवार हल्का भोली भू अभिलेख निरीक्षक क्षैत्र आटुण तहसील व जिला भीलवाडा में प्रार्थी की आराजी नम्बर 1620 रकबा 03–01 बीघा भूमि का लट्टा शीट (राजस्व नक्शें) में कम तरमीम रकबे 01–09 बीघा को विपक्षी संख्या 01 व 02 की आराजी नम्बर 1719/1620 में अधिक तरमीम रकबा 01–09 बीघा को कम कर प्रार्थी की आराजी नम्बर 1620 के राजस्व नक्शें को 03–01 बीघा के रूप में तरमीम करवाया जाने हेतु निवेदन किया है।

प्रार्थी का प्रार्थना पत्र दिनांक 26.05.2022 को पंजीबद्ध किया जाकर विपक्षी को सम्मन जारी किये गये विपक्षी संख्या 01 व 02 उपस्थित नहीं। प्रार्थी अधिवक्ता की बहस सुनी गयी। बहस में प्रार्थना पत्र में वर्णित बिन्दुओ को दोहराते हुये ग्राम भोली के आराजी नम्बर 1620 रकबा 03–01 बीघा का राजस्व नक्शा लट्ठा सीट में 01–09 बीघा की कम तरमीम की हुयी है। जिसे दुरूस्त कराया जावें एवं विपक्षी संख्या 01 व 02 की आराजी नम्बर 1719/1620 में अधिक तरमीम रकबा 01–09 बीघा को कम कर प्रार्थी की आराजी नम्बर 1620 के राजस्व नक्शें में 03–01 बीघा भूमि की तरमीम की जाने का आदेश प्रदान कराये जाने की प्रार्थना की है।

प्रार्थी का प्रार्थना पत्र का अध्ययन किया गया। पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेज में जमाबन्दी सम्वत् 2074 से 2077 के खाता संख्या 118 ग्राम भोली के आराजी नम्बर 1620 क्षैत्रफल 0.7713 हैक्टेयर घीसा पुत्र नारायण भाम्बी सा0 शिव मन्दिर के पास भीलवाडा खातेदार के नाम दर्ज रेकार्ड हैं। इसी प्रकार जमाबन्दी सम्वत 2074–77 में खाता संख्या 37 ग्राम भोली के आराजी नम्बर 1719/1620 रकबा 1.2013 हैक्टयंर भूमि ओमप्रकाश पुत्र शम्भूलाल शर्मा, निवासी भीलवाडा 1/2 हिस्सा एवं राजेश कुमार पुत्र शम्भूलाल शर्मा, निवासी भीलवाडा के नाम 1/2 खातेदारी से दर्ज रेकार्ड है।

ग्राम भोली के आराजी नम्बर 1620 रकबा 0.7713 हैक्टेयर जमाबन्दी सम्व् 2074–77 खाता संख्या 118 में सोहन पुत्र घीसा रेगर निवासी देवपुरा तहसील आसीन्द के नाम खातेदारी से दर्ज रेकार्ड है। प्रार्थी ने अपने प्रार्थना पत्र के समर्थन में तहसीलदार भीलवाडा के पत्र कमांक 258 दिनांक 31.01.2022 के प्रतिवेदन के साथ पटवारी हल्का भोली एवं भू–अभिलेख निरीक्षक आटूण की रिपोर्ट फोटोस्टेट प्रमाणित प्रति एवं नक्शा ट्रेस की प्रमाणित प्रतियॉ संलग्न की है। जॉच प्रतिवेदन में ग्राम भोली के आराजी नम्बर 1620 का वर्तमान लट्ठा सीट में रकबा 1–12 बीघा बनता है। जबकि पडोसी खातेदारी आराजी नम्बर 1719/1620 का जमाबन्दी में रकबा 04–15 बीघा दर्ज है जबकि लट्ठा सीट में उक्त खसरे का रकबा 06–04 बीघा बनता है इसी प्रकार लट्ठा सीट में 1620 का रकबा जमाबन्दी में दर्ज रकबे से 01–09 बीघा कम है जबकि आराजी नम्बर 1719/1620 का रकबा जमाबन्दी में दर्ज रकबे से 01–09 बीघा अधिक है। इस प्रकार आराजी नम्बर 1719/1620 में से 01–09 बीघा भूमि की कम तरमीम करके आराजी नम्बर 1620 में मिला रकबा जमाबन्दी अनुसार बराबर हो जाता है। नक्शें में प्रस्तावित तरमीम करने हेतु रिपोर्ट प्रस्तुत की है।

उपखण्ड अधिकारी
भीलवाडा

ग्राम भोली के आराजी नम्बर 1620 रकबा 03–01 बीघा यानि 0.7713 हैक्टेयर भूमि सोहन पुत्र घीसा रेगर साकिन देवपुरा तहसील आसीन्द के नाम दर्ज है। इस आराजी के राजस्व नक्शा लट्ठा सीट में 03–01 बीघा भूमि के बजाय 01–12 बीघा भूमि की राजस्व नक्शा में तरमीम की हुयी है इस आराजी नम्बर 01–09 बीघा भूमि की कम तरमीम की हुयी है जो संशोधन योग्य है। इसी प्रकार आराजी नम्बर 1719/1620 रकबा 04–15 बीघा यानि 1.2013 हैक्टेयर भूमि खातें में ओमप्रकाश पुत्र शम्भूलाल शर्मा 1/2 हिस्सा एवं राजेश कुमार पुत्र शम्भूलाल शर्मा 1/2 हिस्सा सा0 भीलवाडा के नाम दर्ज है लेकिन राजस्व नक्शा लट्ठा सीट में 04–15 बीघा के बजाय 06–04 बीघा भूमि की यानि 01–09 बीघा भूमि की अधिक तरमीम की हुयी है जो संशोधन योग्य है।

प्रार्थी ने अपने प्रार्थना पत्र के समर्थन में सोहन पुत्र घीसा रेगर साकिन देवपुरा के खातें की वर्तमान जमाबन्दी की नकल एवं विपक्षी संख्या 01 व 02 के वर्तमान जमाबन्दी की नकल प्रस्तुत करते हुये प्रस्तावित नक्शा तरमीम की प्रति भी संलग्न की है।

उपरोक्त विवेचन अनुसार प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 लेण्ड रेवेन्यू एक्ट का स्वीकार योग्य ठहरता है। अतएव्

—:आदेश :—

प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 लेण्ड रेवेन्यू एक्ट की स्वीकार किया जाकर ग्राम भोली के आराजी नम्बर 1620 रकबा 03–01 बीघा भूमि राजस्व रेकार्ड के मुकाबले राजस्व नक्शा लट्ठा सीट में 01–12 बीघा भूमि की यानि 01–09 बीघा भूमि की कम तरमीम की हुयी जिसे दुरूस्त करते हुये 01–12 बीघा भूमि के बजाय 03–01 बीघा भूमि यानि 0.7713 हैक्टेयर भूमि की राजस्व नक्शा लट्ठा सीट में तरमीम करने के आदेश प्रदान किये जाते हैं। इसी प्रकार ग्राम भोली के आराजी नम्बर 1719/1620 रकबा 04–15 बीघा भूमि राजस्व रेकार्ड के मुकाबले राजस्व नक्शा लट्ठा सीट में 06–04 बीघा भूमि की यानि 01–09 बीघा भूमि की अधिक तरमीम की हुयी जिसे दुरूस्त करते हुये 06–04 बीघा भूमि के बजाय 04–15 बीघा भूमि यानि 1.2013 हैक्टेयर भूमि की राजस्व नक्शा लट्ठा सीट में तरमीम करने के आदेश प्रदान किये जाते हैं। आराजी नम्बर 1620 एवं 1719/1620 में खातेदार के कब्जे के सम्बन्ध में किसी प्रकार परिवर्तन नहीं किया जावेगा। संशोधित प्रस्तावित नक्शा पटवारी हल्का भोली द्वारा प्रस्तुत किया गया है जो इस निर्णय की पालना हेतु पार्ट रहेगा। तहसीलदार भीलवाडा उपरोक्तानुसार ग्राम भोली के आराजी नम्बर 1620 एवं 1719/1620 के राजस्व नक्शा लट्ठा सीट में तरमीम दुरूस्ती कर पालना रिपोर्ट 15 दिवस में प्रस्तुत करें।

निर्णय आज दिनांक 22.08.2024 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय मोहर से जारी किया गया है।

Ahad

(आव्हाद निवृत्ति सोमनाथ)
उपखण्ड अधिकारी
भीलवाडा